50

संख्या– 11 /XVIII-(2)/12-2(11)/2008

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 04 जनवरी, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में वरूणावत पर्वत के अतिरिक्त एवं उपचारोत्तर कार्यो के अंतर्गत वरूणावत भूस्खलन क्षेत्र के आस–पास 26 बरसाती नालों के उपचार कार्यो हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–9035/तेरह–21(2008–09), दिनांक 27.05.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वरूणावत पर्वत के अतिरिक्त एवं उपचारोत्तर कार्यो के अंतर्गत वरूणावत भूस्खलन क्षेत्र के आस–पास उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रांतर्गत 26 बरसाती नालों के उपचार कार्यो के सम्बन्ध में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 02 प्रस्ताव कमशः ₹ 249.35 लाख व ₹ 151.45 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत धनराशि कमशः ₹ 229.97 व ₹ 150.79 लाख तथा टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए कुल ₹ **380.76** लाख की धनराशि शासनादेश संख्या–1697/XVIII-(2)/11-2(11)/2008, दिनांक 02.06.2011 द्वारा आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष आपके पत्र संख्या 3872/तेरह–21(2008–09), दिनांक 31.03.2012 के माध्यम से ₹ 190.38 लाख को खर्च न होने के कारण शासन को समर्पित कर दिया गया था। आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 27.05.2012 द्वारा अब उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत पूर्व में शासन को समर्पित ₹ 190.38 लाख (₹ एक करोड़, नब्बे लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनः व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

2– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

क्रमशः–2

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्ठयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-129(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

9– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10– भविष्य में यदि प्राकलन का पुनरीक्षण किया जाता है तो अतिरिक्त पुनरीक्षित लागत पर कोई सेन्टेज देय नहीं होगा।

11– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो हेतु किया जायेगा, जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगें।

12– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण प्रति त्रैमास व कार्य पूर्ण होने के पश्चात् शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

13– इन नालों के वानस्पतिक (बायोलाजिकल) उपचार किये जाते समय उचित प्रजातियों का चयन किया जायेगा तथा पादप प्रजातियां अनवरत रूप से बढ़े इसके लिये अनुरक्षण की व्यवस्था संगत विभागीय मद में कराने पर भी विचार किया जायेगा।

14– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0101–वरूणावत पर्वत उत्तरकाशी का स्थिरीकरण (100% के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामें डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 73 P/वित्त अनु0 5/2012 दिनांक 02 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

कृपया-3

संख्या– 11 (1)/XVIII-(2)/F/12-2(11)/2008, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6– कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
7– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
9– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव